जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 201 वीं बैठक दिनांक 30.08.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में "चिन्तन" कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे लिये गये निर्णयो का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लिया:–

1. श्री विष्णुचरण मलिक, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक / सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुए:–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एमपी) व बीपीसी(एलपी) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त, जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती प्रीति शर्मा, सहायक नगर नियोजक मास्टर प्लान प्रकोष्ठ / बीपीसी (एलपी)

एजेण्डा विवरण:–

एजेण्डा

201 / 30.08.2013

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक कमांक 200 वीं बैठक दिनांक 23.08.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 200 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रकियाधीन थे जो कि कार्यालय क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी–193 दिनांक 02.09.2013 को जारी किये जा चुके हैं।

एजेण्डा

201 / 30.08.2013

विषय :– सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

प्रकरण विचार विमर्श हेतु समिति के समक्ष रखा गया सेक्टर प्लान के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्या–1

201 / 30.08.2013 (जोन–8)

विषय :– निजी खातेदार ग्रुप हाउसिंग की योजना ग्राम मोहनपुरा तह. सांगानेर के भूखण्ड खसरा नं. 204 / 1, 208, 209, 205 / 1 कुल क्षेत्रफल 17241.83 वर्ग गज के उपविभाजन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित उपविभाजन भूखण्डो में से भूखण्ड–ए का ग्रुप हाउसिंग हेतु उपविभाजन स्वीकृत किया जावे एवं भूखण्ड बी व सी का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कम है जबकि टाउनशिप पॉलिसी –2010 व भवन विनियम मानदण्डो में ग्रुप हाउसिंग हेतु 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आवश्यक है अतः भूखण्ड बी व सी का उपविभाजन, भूखण्डो का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कम होन के कारण सामान्य आवास हेतु स्वीकृत किया जावें।

प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति लिया जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–2

201 / 30.08.2013 (जोन–9)

विषय :– भूखण्ड संख्या सी–6, सी–7, सी–8, सी–9, सी–10, सी–11 व सी–12 योजना बैंक ऑफिसर्स सी ब्लॉक (निजी खातेदार) के पुनर्गठन के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या सी–6, सी–7, सी–8, सी–9, सी–10, सी–11 व सी–12 योजना बैंक ऑफिसर्स सी ब्लॉक (निजी खातेदार) के पुनर्गठन को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पुनर्गठित भूखण्डों के मानदण्ड भवन विनियम 2010–2011 के अनुसार दिये जायेगें।

प्रस्तावित पुनर्गठित भूखण्डो का क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–3

201 / 30.08.2013 (मा. प्लान)

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में विवरण एवं चैक लिस्ट।

प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श हेतु रखा गया। विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि पूर्व में एकल पट्टे व ग्रुप हाउसिंग के लिए जारी चैक लिस्ट को संदर्भित कर लिया जावें ताकि उनके सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुये नवीन एकजाई चैक लिस्ट अनुमोदित की जा सके।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

5.9.13
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2013 / डी– 196
दिनांकः 5/9/13

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

5.9.13
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।